



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या - न०नि० 50-01/2024 -617

पटना, दिनांक - 04.03.2025

आदेश

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 443 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा नगरपालिकाओं यथा - नगर पंचायत, कोचस (रोहतास), नगर पंचायत, मेहसी एवं पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण) तथा नगर पंचायत, खुशरुपुर, नगर पंचायत, नौबतपुर एवं नगर पंचायत, विक्रम के आम निर्वाचन, 2025 एवं राज्य के सभी नगरपालिकाओं में कतिपय कारणों से रिक्त हुये पदों के निमित्त होने वाले उप निर्वाचन के लिए राज्य के प्रत्येक जिला के लिए उस जिला के जिला दण्डाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के रूप में पदाभिहित किया जाता है।


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,


सचिव।

ज्ञापांक - न०नि० 50-01/2024 -617

पटना, दिनांक - 04.03.2025

प्रतिलिपि- आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक - न०नि० 50-01/2024 - 617

पटना, दिनांक - 04.03.2025

प्रतिलिपि-सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी जिला दण्डाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक - न०नि० 50-01/2024 - 617

पटना, दिनांक - 04.03.2025

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव।

